



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1201]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 23, 2011/आषाढ़ 2, 1933

No. 1201]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2011/ASADHA 2, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2011

(आय-कर)

का.आ. 1439(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उप-धारा (1ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने की अपेक्षा से व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्ग को छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

1. व्यक्तियों का वर्ग.—कोई व्यक्ति जिसकी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय पांच लाख रुपये से अनधिक है और निम्नलिखित शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य केवल आय से मिलकर बनी है,—

(क) "वेतन";

(ख) दस हजार रुपये से अनधिक किसी बैंक में किसी बचत खाते से ब्याज के रूप में "अन्य स्रोतों से आय"।

2. शर्तें.—पैरा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति ने,—

(i) अपने नियोजक को अपना स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) रिपोर्ट किया हो;

(ii) अपने नियोजक को पैरा 1 के उप-पैरा (ख) में वर्णित आयों को रिपोर्ट किया हो और नियोजक ने उनपर कर की कटौती की हो;

(iii) अपने नियोजक से प्ररूप 16 में कर कटौती का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो जिसमें पैन, आय के ब्यौरे और स्रोत पर कर कटौती तथा केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में निक्षेपित की गई हो;

(iv) स्रोत पर कर कटौती और नियोजक द्वारा केन्द्रीय सरकार को इसके निक्षेप के माध्यम से निर्धारण वर्ष के लिए अपने कुल कर दायित्व का निर्वहन किया हो;

(v) निर्धारण वर्ष की आय के लिए उसे कर वापसी का दावा शोध्य न हो; और

(vi) निर्धारण वर्ष के लिए केवल एक नियोजक से वेतन प्राप्त किया हो।

3. आय-कर की किसी विवरणी देने की अपेक्षा से छूट वहां उपलब्ध नहीं होगी जहां आय-कर अधिनियम की धारा 142(1) या धारा 148 या धारा 153क अथवा धारा 153ग के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए नोटिस जारी किया गया हो।

4. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 36/2011/फा. सं. 142/09/2011(टीपीएल)]

पवन के. कुमार, निदेशक (टीपीएल-IV)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2011

(INCOME-TAX)

S.O. 1439(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1C) of Section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby exempts the following class of persons, subject to the conditions specified hereinafter, from the requirement of furnishing a return of income under sub-section (1) of Section 139 for the assessment year 2011-12, namely :—

1. Class of Persons.—An Individual whose total income for the relevant assessment year does not exceed five lakh rupees and consists of only income chargeable to income-tax under the following head,—

- (A) "Salaries";
- (B) "Income from other sources", by way of interest from a savings account in a bank, not exceeding ten thousand rupees.

2. Conditions.—The individual referred to in para 1,—

- (i) has reported to his employer his Permanent Account Number (PAN);

- (ii) has reported to his employer, the incomes mentioned in sub-para (B) of para 1 and the employer has deducted the tax thereon;
- (iii) has received a certificate of tax deduction in Form 16 from his employer which mentions the PAN, details of income and the tax deducted at source and deposited to the credit of the Central Government;
- (iv) has discharged his total tax liability for the assessment year through tax deduction at source and its deposit by the employer to the Central Government;
- (v) has no claim of refund of taxes due to him for the income of the assessment year; and
- (vi) has received salary from only one employer for the assessment year.

3. The exemption from the requirement of furnishing a return of income tax shall not be available where a notice under Section 142 (1) or Section 148 or Section 153A or Section 153C of the Income-tax Act has been issued for filing a return of income for the relevant assessment year.

4. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 36/2011/F. No. 142/09/2011(TPL)]

PAWAN K. KUMAR, Director (TPL-IV)